

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
धनबाद एवं पाकुड़।

राँची, दिनांक- 19-03-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण, उपमुख्यशीर्ष-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, लघुशीर्ष-101-स्टाम्पों की लागत, उपशीर्ष-01-केन्द्रीय स्टाम्प कोषागार, नासिक रोड़ से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत के अंतर्गत "वापसी" इकाई विपत्र कोड-38S20300210101000886 में कुल 2,85,300/- (दो लाख पचासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-930/रा0, दिनांक-18.02.2025 तथा उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-126/विधि, दिनांक-03.03.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में "वापसी" इकाई में कुल 2,85,300/- (दो लाख पचासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र की राशि निम्नप्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र.	इकाई/जिला	धनबाद (DHNLDLDR 001)	पाकुड़ (PKRDADA 07)	कुल
1	वापसी	47100	238200	285300

- इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित DDO Code में दिया गया है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, पत्रांक-257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-38 के अतिरिक्त विपत्र कोड 38S20300210101000886 का उल्लेख किया जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर कराना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
- यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
18/3

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/स्था0 व्यय आ0 -49/2024-25 169/आ0 राँची, दिनांक-19-03-2025
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, धनबाद
एवं पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
18/3/XXV

सरकार के सचिव।